न्यायालय कलक्टर (आर्बीट्रेटर)नेशनल हाईवे अजमेर

प्रकरण संख्या 85/2014

सुमित भण्डारी पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुरसिंह भण्डारी जाति जैन, निवासी धान मण्डी, पुराना शहर, किशनगढ जिला–अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन, अजमेर।
2. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय, राजमार्ग, प्राधिकरण, जी–586, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली,।
3. महाप्रबन्धक एवं परियोजना निदेशक, एनएचएआई, (पीआइयू) 111, आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0, अजमेर। .....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री चौधरी कुलवन्त सिंह — अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा — अभिभाषक अप्रार्थी0

आदेश

दिनांक – 28.06.2017

दावा :– ग्राम गेगल तहसील अजमेर में स्थित खसरा नं0 1042 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म बारानी 3, खातेदार कंचन देवी पत्नी वीर बहादुरसिंह, खसरा नं0 1043/3 रकबा 0.600 हैक्टर किस्म बारानी, रविन्द्र बहादुरसिंह नरेन्द्र पि. वीर बहादुरसिंह, पुष्पा, पदमा, स्नेहलता, विनोद देवी, रतना पुत्रियॉ वीर बहादुर भण्डारी, खसरा नं0 572/1 रकबा 0.1600 हैक्टयर किस्म–बरडा भूमि कंचन देवी पत्नी वीर बहादुरसिंह, रविन्द्र बहादुरसिंह नरेन्द्र पि. वीर बहादुरसिंह, पुष्पा, पदमा, स्नेहलता, विनोद देवी, रतना पुत्रियॉ वीर बहादुर भण्डारी की भूमि के अधिग्रहण हेतु एन.एच.एक्ट की धारा 3 (ए) 1 के अर्न्तगत दिनांक 13.2.2009 को राजपत्र में अधिसूचना का तथा सार्वजनिक प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 4 एवं 5 मार्च 2009 को किया जाकर 21 दिन की अवधि में अवाप्ति के विरूद्ध आपत्तिया आमंत्रित किये जाने पर दिनांक 23.3.2009 को प्रस्तुत ज्ञापन पर सुनवाई की जाकर निर्णय दिया गया कि "एनएचआई द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार ही भूमि अवाप्त की जायेगी। सर्वे में भूमि आने पर नवीनतम रेकार्ड, पट्टे के आधार पर सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाकर नियमानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा"। किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा बिना जांच किये एवं दस्तावेज का अवलोकन किये साधारण तौर पर अवाप्त भूमि का मुआवजा कृषि भूमि की दर से किया गया, जबकि खसरा नं0 1042 व 1043 की 700 वर्ग मीटर भूमि का वाणिज्यिक संपरिवर्तन हेतु देय शुल्क जमा करवाया गया किन्तु तहसीलदार अजमेर के

28/06/17

कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाइवे, अजमेर

Scanned by CamScanner

आदेश क्रमांक 165 दिनांक 22.9.1994 के द्वारा पट्टा 243 वर्ग मीटर का ही जारी किया गया। मौके पर दुकानों का निर्माण करवाया हुआ है। प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी को इस बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया जिस पर कोई गौर नहीं किया गया। अधिसूचना दिनांक 13.02.2009 को उपरोक्त अवाप्त भूमि की वाणिज्यिक बाजार दर से देय मुआवजा के अनुसार निर्माण एवं अन्य व्यय सहित प्रार्थी कुल राशि 59,82,000/– तथा नियमानुसार ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार कुल 59,82,776/–एवं उस पद देय ब्याज एवं सोलेसियम राशि का भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि :–

प्रतिरक्षण :– खसरा नं0 1042 रकबा 0.100 हैक्टर बारानी–3 एवं खसरा नं0 1043/3 रकबा 0.0600 हैक्टर बारानी –3 एवं खसरा नं0 572/1 बरडा दर्ज है भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर विधिवत रूप से मुआवजे का आंकलन किया गया है। मूल खातेदार द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो का विधिवत रूप से निस्तारण किये जाने के पश्चात अवाप्त भूमि को दिनांक 14.1.14 को क्रय कर आपत्ति उठाने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है। अवार्ड दिनांक 19.11.2009 एन.एच. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पारित किया गया के विरूद्ध प्रार्थना पत्र करीब 5 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। मियाद अधिनियम की धारा 137 के तहत मयाद अवधि 3 वर्ष नियत है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्य सारहीन एवं निराधार है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा किया गया मुआवजा का आंकलन विधि अनुरूप होने से इसमें हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण में प्रस्तुत जवाब कथनों के आधार पर मुख्यतः वाद बिन्दू तय किये गये।

वाद बिन्दू :–

- आया प्रार्थी ग्राम गेगल तहसील अजमेर के खसरा नं0 1042 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नं0 1043/3 रकबा 0.600 हैक्टर, खसरा नं0 572/1 रकबा 0.1600 हैक्टयर का वाणिज्यिक दर से तथा निर्मित क्षैत्र का 10.00 लाख एवं अन्य व्यय के 4. 5 लाख कुल रूपये–59,82,776/– उनसठ लाख बयासी हजार सात सौ छिहतर का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा अपने दावे/प्रतिरक्षण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा वाद बिन्दू को तय किये जाने का प्रयास किया गया।

आपसी सहमति :– माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत कायम वाद बिन्दू पर आपसी सहमति बनाये जाने के प्रयास के तहत उभय पक्ष को आमने सामने बिठाकर सुलह का प्रयास करवाया गया। उभय पक्ष में इस दौरान किसी भी बिन्दू पर सहमति नहीं बन पाई।

28/06/17

कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
नेशनल हाइवे, अजमेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय करने के लिए सहमति प्रकट करते हुए आदेश पारित करने के आग्रह पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बिन्दूवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

- आया प्रार्थी ग्राम गेगल तहसील अजमेर के खसरा नं0 1042 रकबा 0.0100 हैक्टर खसरा नं0 1043/3 रकबा 0.600 हैक्टर खसरा नं0 572/1 रकबा 0.1600 हैक्टयर का वाणिज्यिक दर से तथा निर्मित क्षैत्र का 10.00 लाख तथा अन्य व्यय के 4. 5 लाख कुल रूपये–59,82,776/– उनसठ लाख बयासी हजार सात सौ छिहतर का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

ग्राम गेगल के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खसरा नं0 1042 रकबा 0.100 हैक्टर किस्म बारानी–3 एवं खसरा नं0 1043/3 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म बारानी –3 तथा खसरा नं0 572/1 किस्म बरडा दर्ज है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर भूमि की किस्म के अनुरूप विधिवत रूप से मुआवजे का आंकलन किया गया। मूल खातेदार द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो का विधिवत रूप से निस्तारण कर पारित अवार्ड के 5 वर्ष पश्चात अवाप्त भूमि को दिनांक 14.1.14 को क्रय कर आपत्ति उठाने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एन.एच. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पारित अवार्ड दिनांक 19.11.2009 के 5 वर्ष पश्चात नियमानुसार मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र बिना प्रस्तुत परिवाद बाबत कोई संतोषजनक कारण भी स्पष्ट नहीं है। अतः यह बिन्दु विरूद्ध प्रार्थी तय किया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तिम विनिश्चय हेतु उपरोक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय किया गया है। उपरोक्त विवेचन से अवार्ड के 5 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुति बाबत प्रार्थी, ठोस आधार के अपना दावा सिद्ध कराने में असफल रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य ठहराया जाता है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956, मयाद के बिन्दू पर खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2009 यथावत रखा जाता है। आदेश प्रति प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति),एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर तथा सक्षम अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे को हस्ब कार्यवाही प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

28/06/17

(गौरव गोयल)
कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाईवे, अजमेर

Scanned by CamScanner